

अध्याय 4. चुनावी राजनीति

प्रश्न 1: हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है?

उत्तर : हमें चुनाव की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं/ इसलिए ज्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं।

प्रश्न 2: चुनाव क्या है?

उत्तर : जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके तथा यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे | इसी व्यवस्था का नाम चुनाव है |

प्रश्न 3: चुनाव में मतदाता किस प्रकार से चुनाव करते हैं ?

उत्तर : चुनाव में मतदाता कई प्रकार से चुनाव करते हैं:

- (1) वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं |
- (2) वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं |
- (3) वे सरकार तथा उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं |

प्रश्न 4: लोकतंत्र चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या - क्या हैं ?

उत्तर : लोकतंत्र चुनाव की न्यूनतम शर्तें निम्न हैं -

- (1) पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो (तथा हर किसी को मताधिकार को मत का समान मोल हो |
- (2) दूसरा, चुनाव में कुछ विकल्प उपलब्ध हो | पार्टियों तथा उम्मीवारों को चुनाव में उतरने की पूरी आजादी हो तथा वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करे |
- (3) तीसरा , चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होता रहे | नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए |
- (4) चौथा , लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए |
- (5) पांचवां , चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से कराए जाने चाहिए , जिससे लोग सचमुच अपनी अपनी इच्छा से अपने उम्मीदवार का चुनाव कर सके |

प्रश्न 5: लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद होते हैं ?

उत्तर : पाँच वर्षों बाद |

प्रश्न 6: आम चुनाव किसे कहते हैं ?

उत्तर : सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग - अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं |

प्रश्न 7: उपचुनाव किसे कहते हैं ?

उत्तर : कई बार केवल एक क्षेत्र में चुनाव जो किसी सदस्य की मृत्यु अथवा इस्तीफे से खाली हुआ होता है , इसे उपचुनाव कहते हैं |

प्रश्न 8: निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं ?

उत्तर : चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बाँट लिया गया है , जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं |

प्रश्न 9: लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बाँट लिया गया है ?

उत्तर : 543 निर्वाचन क्षेत्र |

प्रश्न 10: संसद - सदस्य किसे कहते हैं ?

उत्तर : प्रत्येक क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद - सदस्य कहते हैं |

प्रश्न 11: लोकतांत्रिक चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता लिखो ?

उत्तर : हर वोट का बराबर मूल्य |

प्रश्न 12: विधायक किसे कहते हैं ?

उत्तर : विधानसभा की सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं |

प्रश्न 13: निर्वाचन क्षेत्रों को सीट क्यों कहा जाता है ?

उत्तर : क्योंकि हर क्षेत्र संसद अथवा विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है |

प्रश्न 14: लोकसभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की हैं ?

उत्तर : लोकसभा की अनुसूचित जातियों के लिए 79 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित की हैं |

प्रश्न 15: मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं ?

उत्तर : लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगो की सूची चुनाव से काफी पहले बना ली जाती है तथा हर किसी को दे दी जाती है | इसे अधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते है | आम बोल चाल में इसे वोटर लिस्ट कहते है |

प्रश्न 16: क्या कारण है हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है ?

उत्तर : सभी सक्षम मतदाताओ का नाम मतदाता सूची में शामिल हो , यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है | चूंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते है इसलिए हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है |

प्रश्न 17: वोट डालने का अधिकारी होने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए ?

उत्तर : 18 वर्ष |

प्रश्न 18: उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए ?

उत्तर : 25 वर्ष |

प्रश्न 19: टिकट किसे कहते है ?

उत्तर : पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते है |

प्रश्न 20: प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन चीजों का विवरण देना पड़ता है ?

उत्तर : प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए निम्न चीजो का विवरण देना पड़ता है (1) उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर अपराधिक मामले |

(2) उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता |

(3) उम्मीदवार तथा उसके परिवार के सदस्यो की संपत्ति और देनदारियो का ब्यौरा |

प्रश्न 21: हमारे देश में उम्मीवारो की अंतिम सूची की घोषणा होने तथा मतदान की तारीख के बीच कितना समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है ?

उत्तर : लगभग दो सप्ताह |

प्रश्न 22: इंदिरा गाँधी के नेतृत्व करने वाली काँग्रेस पार्टी के 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान कौन - सा नारा दिया था ?

उत्तर : "गरीबी हटाओ" नारा दिया था |

प्रश्न 23: 1977 में हुए अगले लोकसभा चुनावो में जनता पार्टी ने कौन - सा नारा दिया था ?

उत्तर : "लोकतंत्र बचाओ " |

प्रश्न 24: वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में किसको नारा दिया था ?

उत्तर : जीमन जोतने वाले को |

प्रश्न 25: 1983 के आंध्रप्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी.रामाराव ने किसका नारा दिया था ?

उत्तर : तेलुगु स्वाभिमान |

प्रश्न 26: चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार अथवा पार्टी कौन - से काम नहीं कर सकता है ?

उत्तर : चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार अथवा पार्टी ये सब काम नहीं कर सकता -

(1) मतदाता को प्रलोभन देना , घूस देना अथवा धमकी देना |

(2) उनसे जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट मांगना |

(3) चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का उपयोग करना |

(4) लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या फिर विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करना |

प्रश्न 27: हमारे देश के सभी आदर्श आचार संहिता के अनुसार पार्टी को किन चीजों को करने की मनाही है ?

उत्तर : इन सभी चीजों की मनाही है -

(1) सरकारी वाहन , विमान या आधिकारियों का चुनाव में उपयोग |

(2) चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग |

(3) चुनाव की आधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास बड़े नीतिगत फैसले अथवा लोगों की सुविधाएँ देने वाले वायदे नहीं कर सकते |

प्रश्न 28: मुख्य चुनाव आयुक्त कि नियुक्ति कौन करता है ?

उत्तर : भारत के राष्ट्रपति |

प्रश्न 29: चुनाव संरचना का वर्णन करो ?

उत्तर : चुनाव का अंतिम चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना | इस दिन को आमभाषा में चुनाव कहते हैं | मतदाता सूची में शामिल नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में शामिल मतदान केंद्र पर जाता है | यह केंद्र अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल अथवा सरकारी इमारत में बना होता है | जब मतदाता मतदान केंद्र जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति प्रदान करता है | मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है | मशीन के ऊपर विभिन्न उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न बने होते हैं | निर्दलीय उम्मीदवारों को भी

चुनाव अधिकारी अलग चुनाव चिह्न देते हैं। मतदाता को जिस भी उम्मीदवार को अपना वोट देना होता है | उसके चुनाव चिह्न के आगे बटन को केवल एक बार दबाना होता है | मतदान पूर्ण हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीन को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है |

प्रश्न 30: चुनाव के दिन आधिकांश खबर में किस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना होती है ?

उत्तर : चुनाव के दिन आधिकांश खबरों में निम्न प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना होती है -

- (1) मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की |
- (2) अमीर उम्मीदवारों की बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमानों पर धन करने की |
- (3) शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की |
- (4) मतदान के दिन चुनावी धांधली , मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना |

प्रश्न 31 : भारत के चुनाव आयोग के अधिकार लिखिए ?

उत्तर : भारत के चुनाव आयोग के अधिकार निम्नलिखित हैं :

- (1) चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक , पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है |
- (2) यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उलंघन करने वाली पार्टियों और उम्मीदवारों को सजा देता है |
- (3) चुनाव आयोग चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना अथवा अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है |
- (4) चुनावी झूठी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न रहकर चुनाव आयोग के अधीन काम करता है |

प्रश्न 32 : चुनाव में लोगो की भागीदारी का वर्णन करो ?

उत्तर : चुनाव में लोगो की भागीदारी का वर्णन निम्नलिखित हैं :

- (1) चुनाव में लोगो की भागीदारी का पैमाना मुख्यतः मतदान करने वाले लोगो के आकड़े को बनाया जाता है मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगो ने वास्तव में मतदान किया वह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है पिछले पच्चास वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशो में मतदान का प्रतिशत काफी गिरा है भारत में यह या तो स्थिर रहा था फिर ऊपर गया |
- (2) भारत में अमीर और बड़े लोगो की अपेक्षा गरीब , निरक्षर और कमजोर लोग ज्यादा संख्या में मतदान करते हैं |

(3) भारत में आम लोग चुनाव को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं उन्हें लगता है की चुनाव के जरिए ही वे राजनितिक दलों पर अपने अनुकूल निति तथा कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं उन्हें लगता है की देश के शासन संचालन के तरीके निर्धारित करने में उनके वोट महत्व देते हैं।

(4) चुनाव में ज्यादा मतदाताओ ने किसी न किसी प्रकार की भागीदारी जरूर की है आधे से ज्यादा लोगो ने स्वयं को किसी न किसी दल के नजदीक बताया है।